



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,  
इन्दौर - 452 001

## अतिआवश्यक

पृ.पत्र क्र. प्रशा./भत्ता योजना/2023/789

दिनांक 04.10.2023


विषय:- सत्र 2023-24 में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की एकीकृत/संस्कृत एवं नि:शक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता योजना में नवीन एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की अंतिम दिनांक 30.09.2023 में वृद्धि कर 16.10.2023 निर्धारित की जाती है।

सन्दर्भ:- उ.शि.वि.के पत्र क्र.1123/497/आउशि/छा./2023 दिनांक 27.09.23.

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशालाएँ/संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय, शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन/बडवानी/अलीराजपुर/बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

  
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)



क्रमांक 1123 / 497 / आउशि / छा / 2023

भोपाल दिनांक 27/09/2023

- प्रति,
- 1 कुलसचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
  - 2 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा, समस्त संभाग,  
मध्यप्रदेश।
  - 3 प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।



DR (SC/ST Cell)  
CAR (1999) Adm  
30/9  
HOD (Comp. SC)  
Smt. Bawari

विषय :- सत्र 2023-24 में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की एकीकृत/संस्कृत एवं निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता योजना में नवीन एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की अंतिम दिनांक में वृद्धि के संबंध में

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1054 / 41 / आउशि / छा / 2023 दिनांक 13.09.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र सत्र 2023-24 में उच्च शिक्षा द्वारा संचालित एकीकृत/संस्कृत एवं निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता योजना में नवीन एवं नवीनीकरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.09.2023 में वृद्धि कर 16.10.2023 निर्धारित की जाती है।

अतः विषयांकित योजनाओं का संस्थाओं में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने-कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार  
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(आर.के. प्रिस्वामी)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा म.प्र.

पू. क्रमांक 1124 / 497 / आउशि / छा 2023,  
प्रतिलिपि

भोपाल, दिनांक 27/09/2023

1. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।



(आर.के. प्रिस्वामी)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा म.प्र.